ायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
जगदीश प्रसाद) रामावतार 128 [illegible]	
9/3/24 पत्रावली पेश हुई। स० लो० अ० ने प्रस्तुत की। [illegible] प्रार्थी को सुना गया जिसमें रिपोर्ट [illegible] लालसोट का अवलोकन किया जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित मुताबिक लिखाया जाकर [illegible] निस्तारण किया गया। पत्रावली बाद [illegible] कार्यालय [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :— 133/2023

रज्जू दिनांक 15—06—2022

पीठासीन अधिकारी
श्री नरेन्द्र कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. जगदीश प्रसाद पुत्र हरिराम
2. कल्याणी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद
3. रामादेवी पुत्री रामकिशोर पत्नी नाहरसिंह
4. नाहरसिंह पुत्र जगदीश प्रसाद

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम श्यामपुरा खुर्द तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. रामावतार पुत्र हरिराम
2. रामकन्या पत्नी राधाकिशन
3. जौहरीलाल पुत्र राधाकिशन
4. रमेश पुत्र राधाकिशन
5. मुनेश पुत्र राधाकिशन
6. हेमराज पुत्र राधाकिशन
7. सत्यनारायण पुत्र घासीलाल
8. बृजलाल पुत्र घासीलाल
9. रामस्वरूप पुत्र पूनीराम
10. सांवलराम पुत्र पूनीराम
11. शम्भू पुत्र मिश्रीलाल
12. कुंजीलाल पुत्र श्रवणलाल
13. कमलेश पुत्र प्रहलाद
14. राजेश पुत्र प्रहलाद
15. रामकन्या पत्नी प्रहलाद

} समस्त जाति मीना निवासी ग्राम श्यामपुरा खुर्द तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र वास्ते करवाये जाने पत्थरगढी

अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

निर्णय दिनांक : 9/3/24

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 107 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 115 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 116 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि वाके ग्राम श्यामपुराखुर्द पटवार हल्का सूरतपुरा भू.अभि. नि. क्षेत्र टोडाठेकला तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बरान के सहखातेदार काबिज काश्तकार है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 तथा नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। सहखातेदार रामफुल पुत्र रामनाथ फौत हो चुका है परन्तु उसके वारिसान के नामान्तकरण अभी नही खुला है। तथा अन्य सहखातेदारान कमलेश पुत्र हजारी है। मृतक रामफुल के वारिसान तथा सहखातेदारान कमलेश खसंरा न0 107 की भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त खसरा नम्बर 115 व 116 पास पास ही स्थित है। जिसके चतुर्थ दिशाओ मे अन्य भूमि के खातेदारान की भूमि स्थित है जो इस प्रकार है।

उत्तर – पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की तथा स्वयं प्रार्थीगण की भूमि है।

पश्चिम दिशा में :– अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 की खातेदारी भूमि।

दक्षिण दिशा में :– अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15 की खातेदारी भूमि

मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन अपनी खेतो की सीमाओ को लेकर विवाद होता रहता है। मौके पर शांन्ति भंग होने एवं किसी अप्रिय वारदात होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसलिए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खेतो की सीमा चिन्ह अंकित कर मौके पर पत्थरगढी किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है। पूर्व मे दिनांक 05–06–2022 को श्रीमान तहसीलदार जी के आदेश क्रमांक भू.अभि. 21/04 दिनांक 15–04–2021 की पालना में श्यामपुरा खुर्द की उक्त खसरा नम्बर 114, 115, एवं 116 का सीमाज्ञान किया गया मुताबिक हल्का पटवारी रिपोर्ट उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का अन्य खसरा नम्बरान की भूमि पर दवा हुआ माना है। तथा सीमाज्ञान के स्थान पर पत्थरगढी होने पर ही भूमि का सही पैमाईश होना माना है। ऐसी सूरत में पक्षकारो के मध्य खेतो की सीमा विवाद को निपटारे के लिए एकमात्र आधार पत्थरगढी ही है। जिससे की भविष्य मे किसी भी प्रकार से सीमा विवाद पैदा नही हो। दिनांक 05–06–2022 को हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर जिसने अपनी रिपोर्ट मे खसरा नं0 115 एवं 116 भूमि की सही पैमाईश हेतू पत्थरगढी किया जाना आवश्यक मानने तथा मौके पर पक्षकारान के

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

मध्य खेतो की सीमाओ को लेकर विवाद नही हो, इसलिए श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश करना लाजिम आया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर व तलबी अप्रार्थी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 की तामील जरिये रजिस्टर्ड ए.डी करवायी गयी एवं अप्रार्थी संख्या 16 ने दिनांक 13–07–2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल की गई। जिसमे अंकित किया गया है कि उक्त आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान हो चुका है पत्थरगढी करवाना आवश्यक है। पत्रावली अंतिम बहस हेतू नियत की जाकर प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी पर सुना गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात रिपोर्ट तहसीलदार लालसोट का अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थर गढी करवाये जाने हेतू वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 115 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 116 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि वाकै ग्राम श्यामपुराखुर्द पटवार हल्का सूरतपुरा भू.अभि. नि. क्षेत्र टोडाठेकला तहसील लालसोट जिला दौसा में वाली मे अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि दो कुशल गिरदावर/पटवारीयान की टीम गठित कर आराजी खसरा नं0 115 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 116 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि वाकै ग्राम श्यामपुराखुर्द पटवार हल्का सूरतपुरा भू.अभि. नि. क्षेत्र टोडाठेकला तहसील लालसोट जिला दौसा वाली भूमि की पत्थरगढी कायम करावे तथा आवश्यकता पडने पर एस.एच.ओ. मण्डावरी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें साथ ही नियमानुसार राजकीय शुल्क प्रार्थीगण से प्राप्त करें। इस आशय की तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9/3/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
लालसोट जिला दौसा (राज.)